प्र0 1 सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ?

उ0 यह अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 से लागू हुआ।

प्र0 2 यह अधिनियम भारत में कहाँ–कहाँ लागू हुआ?

उ0 जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ।

प्र0 3 सूचना का क्या अर्थ है?

उ0 सूचना का अर्थ किसी भी ऐसी सामग्री से है जो: (क) चाहे अभिलेख, मैमो या ई–मेल की शक्ल में हो; (ख) जिसमें विचारों को प्रकट किया गया हो अथवा सुझाव दिए गए हों; (ग) प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र या सरकारी आदेश जो जारी किए गए हों; (घ) गाड़ियों की लॉग बुक्स; (ड़) परियोजनाओं के अनुबंध; (च) रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल या इलैक्ट्रॉनिक रूप संग्रहित आंकड़े।

प्र0 4 सूचना के अधिकार का क्या अर्थ है?

उ0
1. कार्य, रिकॉर्ड तथा विभिन्न अभिलेखों की जाँच, कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार;
2. रिकॉर्ड तथा अभिलेखों, अंश, व कॉपी, प्रतिलिपि या अधिक प्रतिलिपियाँ की सत्यापित कॉपियाँ (Certified) प्राप्त करने का अधिकार;
3. निर्माण या किसी अन्य सामग्री का प्रमाणित सैम्पल /नमूना लेने का अधिकार;
4. फ्लॉपी, सी0डी0, टेप, विडियो टेप, कैसेट व किसी दूसरे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से या कम्प्यूटर में संग्रहित जानकारी।

प्र0 5 लोक प्राधिकरण (Public Authority) से क्या तात्पर्य है?

उ0 लोक प्राधिकरण एक ऐसी संस्था व संगठन जो स्वशासित है जिसको निम्न में से किसी के द्वारा भी स्थापित/गठित किया गया हो:
1. भारतीय संविधान के द्वारा;
2. संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा लगाए गए कानून के तहत;
3. केन्द्र, राज्य व स्थानीय सरकार के द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना के द्वारा जिसमें निम्न शामिल होंगे:
   (अ) ऐसे संगठन जिनका स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषण सरकार द्वारा किया गया हो। अथवा
   (ब) ऐसे गैर सरकारी संगठन जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में सरकार द्वारा पैसा मुहैया करवाया गया हो ।

प्र0 6 सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन होता है तथा उनके क्या कार्य है?

उ0 प्रत्येक लोक प्राधिकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक स्तर पर नामित किए जाते हैं। इनका कार्य आवेदन एवं अपील को प्राप्त करके, संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन तथा अपिलीय अधिकारी एवं लोक सूचना आयोग को अपील भेजना होता है।

प्र0 7 लोक सूचना अधिकारी कौन है?

उ0 लोक प्राधिकरण अपने सभी प्रशासनिक ईकाइयों व दफ्तरों में जरूरत के हिसाब से लोक सूचना अधिकारी नियुक्त/नामित करता है।

प्र0 8 लोक सूचना अधिकारियों के क्या कार्य हैं?

उ0 लोक सूचना अधिकारी का कार्य आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराना है। यदि आवेदन लिखने में आवेदक असमर्थ है तो उसकी मौखिक प्रार्थना को लिखित रूप देने में मदद करेगा। यदि आवेदन दूसरे प्राधिकरण से संबंधित है तो, सूचना अधिकारी, 5 दिन के अंदर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय को अग्रसारित (ट्रांसफर) करेगा ।

यदि सूचना अधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकार करता है तो वह आवेदक को उसके आवेदन को अस्वीकार करने का कारण, पहली अपील के लिए 30 दिन की समय सीमा तथा अपीलीय प्राधिकरण के बारे में भी बतायेगा।

प्र0 9 लोक–प्राधिकरण (Public Authority) से इस अधिनियम के अंतर्गत क्या–क्या अपेक्षित है?

उ0 लोक प्राधिकरण अपने बारे में पूर्ण रूप से स्वयं *(suo motu)* ही सूचना प्रकट करेगा तथा अपने रिकार्ड को सुनियोजित ढंग से रखेगा ताकि सूचना जल्दी व कम लागत में आवेदक को दी जा सके।

प्र0 10 सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उ0 आवेदक अपने आवेदन को लिखित रूप में या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, जितनी फीस का प्रावधान हो, को साथ संलग्न करके स्वयं या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेज सकता है। जिस प्रकार की सूचना की आवश्यकता हो, उसका आवेदन में स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। आवेदक द्वारा कोशिश होनी चाहिए कि सरकार द्वारा निर्मित प्रारूप आवेदन पत्र द्वारा ही सूचना मांगे ताकि उसे सही सूचना मिल सके।

प्र0 11 पर–व्यक्ति (थर्ड पार्टी) कौन है तथा उसकी सूचना देने की क्या प्रक्रिया है।

उ0 सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में सूचना माँगी गई हो और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकरण भी हो।

पर–व्यक्ति की सूचना के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी आवेदन मिलने के पाँच दिन के अंदर पर–व्यक्ति को सूचना देने की इच्छा पर अपना पक्ष रखने के लिए कि सूचना देनी है या नहीं लिखित या मौखिक जवाब के लिए दस दिन का नोटिस देता है। यदि लोक सूचना अधिकारी को पर–व्यक्ति के संरक्षित अधिकार से ज्यादा लोक हित दिखाई देता है तो आवेदन मिलने के 40 दिन के अंदर पर–व्यक्ति की सूचना दे सकता है।

प्र0 12 सूचना उपलब्ध कराने की क्या समय–सीमा रखी गई है?

उ0
1. आमतौर पर प्रार्थना पत्र देने की तिथि के 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
2. ऐसी सूचना जिसका सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो सकता हो तो ऐसी दशा में आवेदन के 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
3. यदि सूचना किसी तीसरे पक्ष की है तो सूचना 40 दिन में दी जाएगी।
4. यदि सूचना, अनुसूची में दिए गए संगठनों के ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित है तो उसे संबंधित सूचना आयोग की मंजूरी के बाद 45 दिन में दी जाएगी।
5. अगर निर्धारित समय के अंदर लोक सूचना अधिकारी माँगी गई सूचना नहीं देता है तो तब ऐसी स्थिति मे सूचना को देने से मना किया माना जाएगा, जिसके विरूद्ध आवेदक अगले वरिष्ठ अधिकारी को पहली अपील प्रस्तुत कर सकता है।

* लोक सूचना अधिकारी से माँगी गई सूचना अगर निर्धारित समय में नहीं दी जाती है तो इसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन को लेने से अस्वीकार माना जाएगा।

प्र0 13 जिस रूप में सूचना माँगी गई, क्या उसी रूप में सूचना मिल सकती है?

उ0 जिस रूप में सूचना मांगी जाती है, सूचना उसी रूप मे देनी पड़ती है। यदि सूचना देते वक्त लोक प्राधिकरण के संसाधनों को बेमेल रूप से मोड़ता (Divert) है या प्राधिकरण के रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो सूचना जिस रूप में माँगी गई हो उस रूप में मना किया जा सकता है।

प्र0 14 किस प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती?

उ0
1. वे सूचनाएँ जो: (क) भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता से संबंधित; (ख) न्यायालय द्वारा मना की गई; (ग) संसद व राज्य विधान परिषद के विशेषाधिकार एवं पर–व्यक्ति के वाणिज्यिक विश्वास, व्यवहार गुप्तता या बौद्विक सम्पदा का उल्लंघन से संबंधित; (घ) किसी व्यक्ति या विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त; (ड़) व्यक्ति के जीवन एवं सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा करने वाली; (च) जाँच प्रकिया को प्रभावित करने वाली; (छ) कैबिनेट पेपर; एवं (ज) किसी व्यक्ति की निजी जिन्दगी में दखल देने वाली नहीं दी जा सकती।

   * *लेकिन यदि मांगी सूचना, जनहित में है तो ऊपरलिखित मना की गई सूचना भी दी जा सकती है।*
2. ऐसे मामले जिन में राज्य के अलावा यदि किसी व्यक्ति–विशेष के कॉपीरॉईट का उल्लंघन होता है तो सूचना नहीं दी जाएगी।
3. इंटेलिजेंस तथा सिक्यूरिटी संगठनों की भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना को छोड़कर, बाकी की सूचना नहीं दी जाएंगी।

प्र0 15 क्या आवेदक अपनी सूचना से संबंधित अभिलेखों तथा पत्रावलियों की जाँच लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जाकर कर जा सकता है?

उ0 जी हाँ, आवेदक अपनी सूचना से संबंधित अभिलेखों तथा पत्रावलियों की जाँच लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जा कर कर सकता है।

प्र0 16 केन्द्र व हरियाणा सरकार में सूचना के अधिकार के तहत शुल्क का ढ़ाचा क्या है ?

उ0 शुल्क ढ़ाचा इस प्रकार है :–

	केन्द्र	हरियाणा
आवेदन शुल्क	10 रु	50 रु
ए–3/ए–4 प्रतिलिपि	2 रु	10 रु
ए–3/ए–4 से बड़ा आकार	वास्तविक लागत	

सी–डी	50 रु	100 रु
फ्लॉपी	50 रु	50 रु

केन्द्र व हरियणा सरकार में पहले एक घंटे की जाँच के दौरान कोई फीस नहीं ली जाती है। उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट के लिए हरियाणा मे 10 रुपये तथा केन्द्र मे 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। 15 मिनट से कम समय को भी 15 मिनट माना जाएगा।

**गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।*

प्र0 17 किस माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता है?

उ0 आवेदन शुल्क संबंधित लोक सूचना अधिकारी/सहलोक सूचना अधिकारी के नाम पर जमा कराया जाता है। हरियाणा में, इसे नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या ट्रेजरी चालान के रूप में जमा किया जा सकता है।

केन्द्र स्तर पर शुल्क नकद, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा किया जा सकता है।

प्र0 18 आवेदक, लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्व पहली अपील कहाँ कर सकता है तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी कितने दिन में अपील में निर्णय देने के लिए बाध्य है ?

उ0 आवेदक, लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्व आवेदक तीस दिन मे विभागीय अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है । विभागीय अपीलीय अधिकारी 30 दिन के अंदर अपील में निर्णय देने के लिए बाध्य है, परंतु किसी–किसी निर्णय में वह 15 दिन अतिरिक्त ले सकता है जिसका उसको लिखित रूप से कारण देना पड़ता है।

प्र0 19 क्या आवेदक पहली अपील की बजाय सीधा दूसरी अपील अर्थात् आयोग में जा सकता है?

उ0 जी हाँ, यदि किसी लोक प्राधिकरण में सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई हो, सूचना अधिकारी ने आवेदन लेने से मना कर दिया हो, समय सीमा में सूचना न दी हो, ज्यादा फीस ली गई हो, गलत व आधी–अधूरी सूचना दी गई हो तो आवेदक सीधा आयोग में शिकायत कर सकता है। यदि आयोग को उपयुक्त आधार लगता है तो वह स्वीकार कर मसले की जाँच कर सकता है।

प्र0 20 क्या किसी नागरिक को विभागीय अपीलीय अधिकारी अर्थात् प्रथम अपील के द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्व अपील करने का अधिकार है?

उ0 जी हाँ, विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील के निपटारा न करने अथवा उसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्व द्वितीय अपील हरियाणा राज्य सूचना आयोग में समस्त प्रमाण पत्रों – जैसे आवेदन शुल्क का प्रमाण, प्रथम अपील दर्ज करने का प्रमाण के साथ, 90 दिन की समयावधि के अंदर अपील कर सकता है।

प्र0 21 यदि लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कारण से सूचना न देने का दोषी पाया जाता है तो क्या उसे दण्डित करने या उसके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही करने की सिफारिश का अधिकार केन्द्र व राज्य सूचना आयोग के पास है?

उ0 जी हाँ, केन्द्र व राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार है कि यदि कोई उनके राज्य के अंतर्गत आने वाला लोक सूचना अधिकारी सूचना न देने का दोषी पाया जाता है तो उसे 250 रूपये प्रतिदिन किन्तु अधिकतम 25000 रूपये तक दण्डारोपित किया जा सकता है तथा आयोग उसके विरूद्व विभागीय कार्यवाही की भी सिफारिश कर सकता है। यह राशि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

प्र0 22 क्या सूचना देने में विलंब के लिए केवल नामित लोक सूचना अधिकारी को ही दण्डित किया जा सकता है?

उ0 नामित लोक सूचना अधिकारी अपना कार्य पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे अधिकारी, जिसके पास अभिलेख होता है, की मदद ले सकता है। इसके उपरांत उपरोक्त अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि सहायतार्थ कार्य में सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होता है तो *उपरोक्त अधिकारी को उस दशा (Case) में लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा और उसे ही दण्डित किया जाएगा जो नामित नहीं है।*

प्र0 23 क्या नुकसान की हालत में सूचना–आवेदक को मुआवजा देने का प्रावधान है?

उ0 जी हाँ। यदि शिकायतकर्ता को कोई सूचना न मिलने की वजह से हानि होती है तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए सूचना आयोग मुआवजे का प्रावधान कर सकता है। यह मुआवजा संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा।

प्र0 24 सूचना का अधिकार हरियाणा में किन संगठनों पर लागू नहीं है?

उ0 हरियाणा में निम्नलिखित 6 संगठन सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखे गए हैं:

क. राज्य अपराधिक गुप्तचर विभाग (सी0आई0डी0) जिसमें अपराध शाखा शामिल है;
ख. हरियाणा सशस्त्र पुलिस;
ग. पुलिस के सुरक्षा संगठन;
घ. हरियाणा पुलिस दूरसंचार संगठन;
ड़ भारतीय रिर्जव बटालियन;
च. कमांडो।

परंतु यदि इन संगठनों पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगता है तो ये संगठन भी उस सूचना के संबंध में सूचना के अधिकार के दायरे में आ जाते हैं।

***इसी प्रकार केंद्र सरकार के 18 संगठन सूचना के अधिकार से बाहर रखे गए हैं।**

प्र0 25 सूचना अधिकार में न्यायालयों की क्या भूमिका है?

उ0 निचली अदालतों की इस अधिनियम के तहत कोई भूमिका नहीं है। परंतु आयोग के निर्णय के विरूद्व सर्विधान की धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायलय तथा 226 के तहत उच्च न्यायलय में जाया जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की मार्गदर्शिका

आर0टी0आई0 सैल, हिप्पा

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान

76, सैक्टर–18, गुड़गांव